CNR-UPLL010030292026

न्यायालय, अपर जिला एवं सत्र/विशेष न्यायाधीश (द०प्र०क्षे०) ललितपुर।

पीठासीन अधिकारी- सुनील सिंह,

उच्चतर न्यायिक सेवा -UP06456

जमानत आवेदन सं० 1089/2026

रानू उर्फ मनमोहन उम्र करीब 34 वर्ष पुत्र रामकुमार पटैरिया, निवासी ग्राम किसलवास, थाना जखौरा, जिला ललितपुर।

.... आवेदक/अभियुक्त।

बनाम

1. स्टेट आफ यू०पी०,

2. श्रीमती क्रान्ति पत्नि रामनिवास, निवासी ग्राम किसलवास, थाना जखौरा, जिला ललितपुर।

...अभियोगी/विपक्षी।

सेशन केस संख्या-388/2023
अन्तर्गत धारा 392, 427 भा.दं.सं.
थाना जखौरा, जिला ललितपुर

28.07.2026

1. यह जमानत प्रार्थना पत्र संख्या-1089/2026, आवेदक/अभियुक्त रानू उर्फ मनमोहन की ओर से सेशन केस संख्या-388/2023 अन्तर्गत धारा 392, 427 भा.दं.सं. थाना जखौरा, जिला ललितपुर में दाखिल किया गया है। अभियुक्त न्यायिक अभिरक्षा में हैं। वादी मुकदमा के विद्वान अधिवक्ता उपस्थित।

2. अभियोजन कथानक संक्षेप में इस प्रकार है कि दिनांक 02.04.2021 को समय करीब 02.00 बजे रात्रि परिवादिनी के मकान में बक्से का ताला तोड़कर चांदी की करदौनी, सोने की पांचाली, सोने के दो मंगलसूत्र, चांदी की तीन पायल, एवं 50,000/- रुपये कट्टे से जान से मारने की धमकी देकर लूट कर ले गये। तद्क्रम में आवेदक/अभियुक्त को न्यायालय द्वारा परिवाद के आधार पर तलब किया गया।

3. आवेदक/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता द्वारा जमानत प्रार्थना पत्र में अंकित अभिकथनों को दोहराते हुये यह बहस की गयी है कि अभियुक्त बेगुनाह एवं बेकसूर है, उसने किसी भी प्रकार का कोई अपराध नहीं किया है। आवेदक ने परिवादिनी के घर के अन्दर घुसकर बक्से का ताला तोड़कर चांदी की करदौनी, सोने की पांचाली, सोने के दो मंगलसूत्र, चांदी की तीन पायलें एवं 50000/- रुपये की चोरी नहीं की है और न ही कोई लूटपाट की है। परिवादिनी के बयान धारा-200 जा०फौ० एवं साक्षीगण के बयान धारा-202 जा०फौ० मे काफी विरोधाभाष है और परिवादपत्र मे वर्णित तथ्यो का समर्थन नही किया है जिस कारण भी घटना पूर्णतः असत्य एवं निराधार है। परिवाद मे परिवादिनी द्वारा न्यायालय

Digitally signed by SUNIL SINGH
Date: 2026.07.28 16:33:50 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

के समक्ष जो साक्षीगण के बयान अंकित कराये गये वह परिवादिनी के हितवद्ध साक्षी है जिनकी साक्ष्य पर विश्वास नही किया जा सकता है। परिवादिनी ने अपने परिवादपत्र में लूटे गये जेवरातो के सम्बन्ध मे कोई बिल प्रस्तुत नही किये गये है इस कारण भी घटना संदिग्ध प्रतीत होती है। अभियुक्त द्वारा परिवादिनी के ट्रेक्टर एवं मोटरसाईकिल की तोडफोड नही की है और न ही गेहूँ की फसल में आग लगायी है और न ही किसी भी प्रकार का नुकसान किया। सही बात यह कि परिवादिनी एवं अभियुक्त के मध्य जमीनी विवाद चल रहा है जिस कारण परिवादिनी ने अभियुक्त के विरूद्ध फर्जी घटना दर्शाते हुये उक्त परिवाद माननीय न्यायालय श्रीमान जी क समक्ष प्रस्तुत कर दिया है। परिवादिनी ने अपने परिवादपत्र मे मारपीट होना अंकित किया गया है लेकिन पत्रावली पर डॉक्टरी परीक्षण की रिपोर्ट अंकित नही है। परिवाद में उल्लिखित तथ्यों से प्रथम दृष्टया धारा-392, 427 ता०हि० का अपराध गठित नही होता है। अभियुक्त जिले का स्थाई निवासी है उसके भागने अथवा फरार होने की सम्भावना है। आवेदक दिनांक 08.07.2026 से जिला कारागार ललितपुर में निरुद्ध है। आवेदक का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। अतः आवेदक/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता द्वारा उक्त आधारों पर उनको जमानत पर रिहा किये जाने की याचना की गयी है।

4. राज्य की ओर से उपस्थित विद्वान अपर जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) द्वारा जमानत प्रार्थना पत्र का विरोध करते हुये कथन किया गया कि दिनांक 02.04.2021 को समय करीब 02.00 बजे रात्रि परिवादिनी के मकान में बक्से का ताला तोड़कर चांदी की करदौनी, सोने की पांचाली, सोने के दो मंगलसूत्र, चांदी की तीन पायल, एवं 50,000/- रुपये कट्टे से जान से मारने की धमकी देकर लूट कर ले जाने का अपराध धारा 392, 427 भा.द.सं. के अन्तर्गत गंभीर प्रकृति का है। अभियुक्त का जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त किया जाये।

5. वादिनी द्वारा दाखिल आपत्ति दिनांकित 28.07.2026 में घटना के तथ्यों को दोहराते हुए आवेदक/अभियुक्त की जमानत का घोर विरोध किया गया, यह भी बताया कि आवेदक को जमानत दिये जाने पर आगे भी गंभीर घटना कारित करने से इन्कार नहीं किया जा सकता।

सुना एवं पत्रावली का अवलोकन किया।

6. पत्रावली के अवलोकन से विदित होता है कि प्रकरण में दिनांक 02.04.2021 को समय करीब 02.00 बजे रात्रि परिवादिनी के मकान में बक्से का ताला तोड़कर चांदी की करदौनी, सोने की पांचाली, सोने के दो मंगलसूत्र, चांदी की तीन पायल, एवं 50,000/- रुपये कट्टे से जान से मारने की धमकी देकर लूट कर ले जाने का अभिकथन किया गया है। आवेदक/अभियुक्त को न्यायालय द्वारा परिवाद के आधार पर तलब किया गया। अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता द्वारा तर्क दिया गया है कि परिवादिनी के बयान धारा-200 जा०फौ० एवं साक्षीगण के बयान धारा-202 जा०फौ० में काफी विरोधाभाष है और परिवाद पत्र में वर्णित तथ्यों का समर्थन नहीं किया है, जिस कारण भी घटना पूर्णतः असत्य एवं निराधार है। परिवाद में परिवादिनी द्वारा न्यायालय के समक्ष जो साक्षीगण के बयान अंकित कराये गये हैं, वे परिवादिनी के हितवद्ध साक्षी हैं। परिवादिनी ने अपने परिवाद पत्र में लूटे गये जेवरातों के सम्बन्ध में कोई बिल प्रस्तुत नहीं किये गये हैं। यह भी तर्क दिया है कि परिवादिनी एवं अभियुक्त के मध्य जमीनी विवाद चल रहा है जिस कारण परिवादिनी ने अभियुक्त के विरूद्ध फर्जी घटना दर्शाते हुये उक्त परिवाद बढ़ा-चढ़ाकर प्रस्तुत किया जाना बताया है। परिवादिनी ने अपने परिवाद पत्र में मारपीट होना अंकित किया गया

है, लेकिन पत्रावली पर डॉक्टरी परीक्षण की रिपोर्ट अंकित नहीं है। थाने की आख्यानुसार आवेदक/अभियुक्त के विरुद्ध एक अन्य मुकदमा मु०अ०सं० 80/15 पंजीकृत होना बताया है, जिसमें वह जमानत पर है। मामला परिवाद पर आधारित है। वादिनी द्वारा प्रस्तुत आपत्ति में ऐसा कोई आधार अंकित नहीं है, जो आवेदक की जमानत पर विपरीत प्रभाव डालता हो। आवेदक/अभियुक्त दिनांक 08.07.2026 से जिला कारागार ललितपुर में निरुद्ध है, जिससे उसके जेल में निरुद्ध रहने से उसके मन-मस्तिष्क पर विपरीत प्रभाव पड़ने की संभावना से इन्कार नहीं किया जा सकता है।

7. अतः मामले के समस्त तथ्यों एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुये एवं गुण-दोष पर कोई मत व्यक्त न करते हुये आवेदक/अभियुक्त का जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने के आधार पर्याप्त हैं। जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने योग्य है।

आदेश

आवेदक/अभियुक्त **रानू उर्फ मनमोहन** की ओर से सेशन केस संख्या-388/2023 अन्तर्गत धारा 392, 427 भा.दं.सं. थाना जखौरा, जिला ललितपुर में प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र संख्या-1089/2026 **स्वीकार** किया जाता है। आवेदक/अभियुक्त द्वारा मु० 1,00,000/- रुपये का व्यक्तिगत बंधपत्र तथा इतनी ही धनराशि के दो प्रतिभू (जिसमें से एक परिवार के सदस्य का हो) दाखिल करने पर, उसे निम्न शर्तों के अधीन जमानत पर रिहा किया जाता है:-

1- आवेदक/अभियुक्त, इस आशय की अंडरटेकिंग प्रस्तुत करेगा कि साक्षीगण के साक्ष्य हेतु न्यायालय में उपस्थित आने पर कोई स्थगन याचित नहीं करेगा इस शर्त के उत्वधन पर परीक्षण न्यायालय आवेदक/अभियुक्त के विरूद्ध जमानत का दुरूपयोग मानते हुये विधि अनुसार आदेश पारित करेगी।

2- आवेदक/अभियुक्त, परीक्षण न्यायालय के समक्ष प्रत्येक नियत तिथि पर स्वयं या अधिवक्ता के माध्यम से उपस्थित रहेगा।

3- आवेदक/अभियुक्त, परीक्षण न्यायालय में परीक्षण प्रारंभ होने, आरोप विरचित किये जाने तथा दं.प्र.सं. की धारा 313 के अधीन कथन लिपिबद्ध किये जाने के समय व्यक्तिगत रूप से उपस्थित रहेगा तथा बिना पर्याप्त कारण के अनुपस्थित रहने पर तथा जमानत का दुरूपयोग किये जाने पर परीक्षण न्यायालय विधि अनुसार कार्यवाही करेगी।

4- आवेदक/अभियुक्त, ऐसा कोई समान प्रकृति का अपराध नहीं करेगा जिसका उनके विरूद्ध पूर्व से अभियोग चल रहा है।

5- आवेदक/अभियुक्त, वादी/पीड़ित को डरायेगा, धमकायेगा नहीं, न ही उनके परिवार के किसी भी सदस्य अथवा गवाहों को डराने, धमकाने व प्रताड़ित करने का प्रयास करेगा।

दिनांक **28.07.2026**

(सुनील सिंह)
अपर जिला एवं सत्र/
विशेष न्यायाधीश (द०प्र०क्षे०)
ललितपुर।